शिमला विकास योजना 2041

प्रिलिम्स के लिये:

नगर निगम, शिमला विकास योजना 2041, सतत् विकास, अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन), राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)।

मेन्स के लिये:

शिमला विकास योजना 2041, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ तथा हस्तक्षेप एवं उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिमला विकास योजना 2041** को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर में निर्माण गतिविधियों को टिकाऊ **बनाने के साथ विनियमित** करना है।

शिमला विकास योजना 2041 क्या है?

- **परिचय:**
  - शिमला योजना क्षेत्र 2041 के लिये विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था।
  - विकास योजना भारत सरकार की अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन), उप-योजना के अंतर्गत **हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग** द्वारा तैयार की गई है।
    - योजना **GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली)** आधारित है। यह हिमाचल प्रदेश **नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977** के प्रावधानों के अंतर्गत शिमला नगर निगम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है।
  - योजना में कहा गया है कि "नगर नियोजन NGT के दायरे में नहीं आता है"।
- **विधिक लड़ाई की पृष्ठभूमि:**
  - योजना की प्रारंभिक मंज़ूरी पिछली **राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022** में दी गई थी।
  - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अनुसार, योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के निर्णयों का उल्लंघन माना गया था, जिसने हस्तक्षेप किया और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी किये।
    - NGT के वर्ष 2017 के निर्णय ने शिमला योजना क्षेत्र में **दो मंज़िला** तथा दो मंजिल से ऊपर की इमारतों के **निर्माण पर रोक** लगा दी थी।
      - NGT ने पाया कि योजना ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक **मंज़िलों के साथ नए निर्माण की अनुमति देकर प्रतिबंध का उल्लंघन** किया है। NGT ने राज्य में जारी रहने पर **कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा में हानि** की चेतावनी दी।
  - राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने **सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तियों का समाधान** करने के साथ **छह सप्ताह के भीतर अंतिम योजना जारी करने का निर्देश** दिया।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय?

- शिमला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के **पहले के निर्णयों को पलटते हुए मंज़ूरी** दे दी थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को **विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्देश** देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- न्यायालय ने उल्लेख किया कि **NGT राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं** दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है।
- न्यायालय ने माना कि **वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलित एवं सतत्** प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि **पक्ष अभी भी योजना के**

वशिष्टि पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लयि तैयार हैं।

राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण (NGT) क्या है?

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य **प्राकृतकि संसाधनों** के **संरक्षण से संबंधति मामलों के प्रभावी और शीघ्र नपिटान** के लयि **राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण अधनियिम (2010)** के अंर्तगत स्थापति एक वशिष नकिाय है।
- **NGT की स्थापना** के साथ **भारत, ऑस्ट्रेलयिा तथा न्यूज़ीलैंड के बाद** एक वशिष पर्यावरण न्यायाधकिरण स्थापति करने वाला **दुनयिा का तीसरा देश** बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला वकिासशील देश बन गया।
- सात नर्धारति कानून (**अधनियिम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध**) जल अधनियिम 1974, जल उपकर अधनियिम 1977, वन संरक्षण अधनियिम 1980, वायु अधनियिम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधनियिम 1986, सार्वजनकि दायत्वि बीमा अधनियिम 1991 तथा **जैववविधिता अधनियिम 2002** हैं। जन्हिोंने ववािद के साथ NGT अधनियिम की वशिष भूमकिा को जन्म दयिा।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतमि रूप से उसका नपिटान करना अनविार्य है।
- NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दल्लिी बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं।
- **न्यायाधकिरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता** करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायकि सदस्य तथा अधकितम 20 वशिषज्ञ सदस्य शामलि होते हैं।
- न्यायाधकिरण के नर्णिय बाध्यकारी होते हैं। **न्यायाधकिरण के पास अपने नर्णियों की समीक्षा करने की शक्तयिाँ** हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दनिों के भीतर नर्णिय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

कायाकल्प और शहरी परविर्तन के लयि अटल मशिन (AMRUT) क्या है?

- **प्रारंभ:** जून 2015
- **संबंधति मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)
- **उद्धेश्य:**
    - हर घर में पानी की सुनशि्चति आपूर्तिऔर सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनशि्चति करना।
        - मशिन का प्राथमकिता क्षेत्र सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है।
    - हरयिाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों (जैसे- पार्क) का वकिास करके शहरों की सुवधिा का मूल्य बढ़ाना।
    - सार्वजनकि परविहन का कम उपयोग कर उसके बदले या गैर-मोटर चालति परविहन (जैसे- पैदल और साइकलि चलाना) के लयि सुवधिाओं का नर्मािण करके प्रदूषण को कम करना।
- **घटक:**
    - क्षमता नर्मािण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी की नकिासी, शहरी परविहन तथा हरति स्थानों एवं पार्कों का वकिास।
        - सुधारों का उद्देश्य नागरकि सेवाओं की डलिीवरी में सुधार करना, डलिीवरी की लागत को कम करना, वत्तिीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शति बढ़ाना है। इसमें स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना भी शामलि है।
- **राज्य वार्षकि कार्य योजना (SAAP):**
    - AMRUT ने MoHUA द्वारा वर्ष में एक बार SAAP की मंजूरी देकर परयिोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया है तथा राज्यों को अपने अंत में परयिोजना मंज़ूरी देनी होती है, इसलयि [सहकारी संघवाद](#) का एहसास होता है।
- **नरीिक्षण:**
    - एक शीर्ष समति (Apex Committee - AC), जसिकी अध्यक्षता सचवि, MoHUA करता है और जसिमें संबंधति मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतनिधि शामलि होते हैं, मशिन की नगिरानी करती है।

UPSC,सवििल सेवा परीक्षा ,वगित वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधकिरण (एन.जी.टी) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी) से भन्नि है? (2018)

1. **एन.जी.टी का गठन एक अधनियिम द्वारा कयिा गया है, जबकि सी.पी.सी.बी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कयिा गया है।**
2. एन.जी.टी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सी.पी.सी.बी झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहति करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/shimla-development-plan-2041